रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 1976/आश्विन 2, 1898
No. 426] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1976/ASVINA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th September 1976

S.O. 635(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 547(E)/18FB/IDRA/75 dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertaking known as Messrs. Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of that Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 26th September, 1977.

[No. F.2/28/75-CUC]
A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 24 सितम्बर, 1976

का० आ० 635 (अ)/18 चख/उ० वि० वि० अ०/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 547 (अ)/18 एफ बी०/आई० डी० आर० ए० /75 तारीख 27 सितम्बर, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमतियां मैसर्स सेन एण्ड पण्डित इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता, नामक औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी, और

(ख) ऐसी सभी प्रवृत्त संविदाओं, सम्मत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व उसे लागू होती हों, का प्रवर्तन और उक्त तारीख से पूर्ण तद्धीन प्रोदभूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारी, विशषाधिकार, बाध्यतायें और दायित्व 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेंगे ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए बढा दी जानी चाहिए ;

अत :, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की, उपधारा, (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1977 तक बढाती है ।

[सं० फा० 2/28/75-सी० यू०सी०]
ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976